न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :—559/2022 निर्णय दिनांक :— 20.06.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :—

सुमित्रा देवी पत्नि धनराज जाति मीणा उम्र बालिग निवासी देवपुरा पोस्ट सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 —प्राथीया—

—बनाम—

1. गोपी पुत्र भूरा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सरदारपुरा हाल निवासी गांधीग्राम तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. गोकुल पुत्र भूरा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सरदारपुरा हाल निवासी गांधीग्राम तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. कल्याण पुत्र भूरा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सरदारपुरा हाल निवासी गांधीग्राम तहसील देवली जिला टोंकराज0
4. राजू पुत्र हीरा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सरदारपुरा हाल निवासी गांधीग्राम तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रामदेव पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सरदारपुरा हाल निवासी गांधीग्राम तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. इन्द्रराज पुत्र सुखलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सरदारपुरा हाल गांधीग्राम तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. खाना पुत्र सुखलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सरदारपुरा हाल गांधीग्राम तहसील देवली तहसील बुझे जिला टोंक राज0
8. कल्याण पुत्र बरधा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सरदारपुरा हाल निवासी गांधीग्राम तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. सोभाग पुत्र बरधा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सरदारपुरा हाल निवासी गांधीग्राम तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9
तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1500 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम आंवा पटवार हल्का

आंवा तहसील दूनी जिला टोक राज0 में स्थित है। राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नम्बर 1474 गै. मु. रास्ता दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1503 रकबा 0.92 हैं0 भूमि वाके ग्राम आंवा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 के पूर्वज देवा पुत्र हरबक्शा बैरवा की खातेदारी की भूमि है। खातेदार देवा पुत्र हरबक्शा बैरवा का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

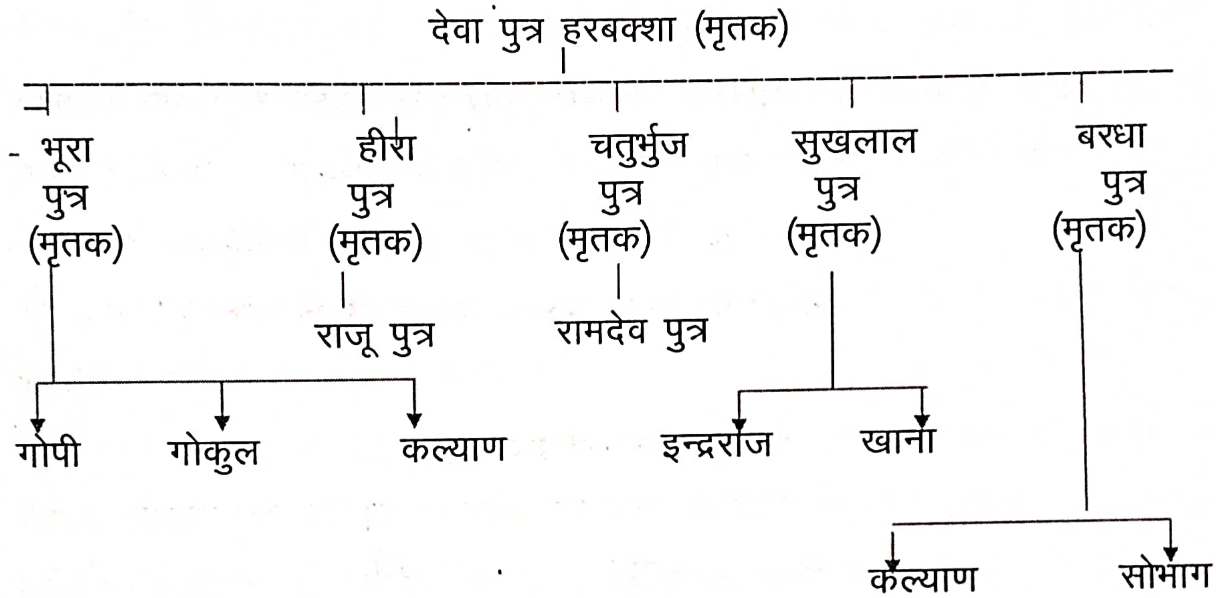

वर्तमान मे उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1503 देवा पुत्र हरबक्शा बैरवा की खातेदारी मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। देवा पुत्र हरबक्शा बैरवा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 है जिनके नाम अभी नामांतकरण नही खुला है। प्रार्थीया काफी वर्षो से अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0 मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1474 से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1503 में से दक्षिण दिशा की ओर से आती जाती रही है तथा उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाती ले जाती है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नहीं कर पा रही है । इसलिये प्रार्थीया को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0 मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1474 से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की खातेदारी की

भूमि खसरा नम्बर 1503 में से दक्षिण दिशा की ओर से 20 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1500 वाके ग्राम आंवा पटवार हल्का आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये गै0 मु0 रास्ता ख. नं. 1474 से आप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की खातेदारी की भूमि ख. नं. 1503 में से दक्षिण दिशा की ओर से 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा कमांक 371 दिनांक 10.10.23 से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–आवेदित आराजी ख0न0 1500 रकबा 0.51 है0 प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की खातेदारी में ख0नं0 1501 रकबा 1.21 है0, ख. नं. 1502 रकबा 0.41 है0, ख. नं. 1507 रकबा 0.31 है0, ख. नं. 1508 रकबा 0.61 है0, ख. नं. 730 रकबा 0.13 है0 एक साथ ही लगवा है। आवेदित आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रिकॉर्डेड रास्ता ख. नं. 1474 से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल निम्नानुसार हैः–

क. सं.	ख. नं.	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षैत्रफल वर्ग मीटर में
1.	1503	16	6	96

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की बीएलसी दर 413784/पर है। डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर राशि 7945/– रूपये. होती है। आराजी ख. नं. 1500 रकबा 0.51 है0 प्रार्थीया की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया ख. नं. 1474 से 1503 में से होकर रास्ता चाहते है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित कर दिया गया है। प्रस्तांवित रास्ते को मध्य में कोई संरचना पैड, दीवार आदि नहीं है।श्री कल्याण पुत्र

भूरा ने रास्ता देने पर सहमति दी है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो का ही दोहरान किया।

तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया की भूमि ख. नं. 1500 वाके ग्राम आवां तहसील दूनी में जाने के लिए प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की भूमि ख. नं. 1503 में से रास्ते की प्रार्थना की है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया को रास्ते की आवश्कता आत्यन्तिक है तथा अन्य कोई वैकल्पिकर रास्ता भी नहीं होना रिपोर्ट में बताया है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस कमांक 371 दिनांक 10.10.2023 में लाल स्याही से दर्शित अनुसार गै. मु. रास्ता ख. नं. 1474 से ख. नं. 1503 में से लम्बाई 16 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर, जिसका क्षैत्रफल 96 वर्ग मी. के रास्ते की तरमीम प्रार्थीया द्वारा वर्तमान डी.एल.सी 413784/- प्रति है0 की दर से 96 वर्ग मीटर के लिए दुगनी प्रतिकर राशि 7994/- अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 20.06.2024 को सुनाया गया।

20/6/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली